भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2117

उत्तर देने की तारीख 08 मार्च, 2021

सोमवार, 17 फाल्गुन,1942 (शक)

कौशल विकास योजना

†2117 श्री सुनील कुमार सोनी: **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील: **श्री अरुण साव:**
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल **डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:**
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान युवा कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित राज्यों को सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार और योजना-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री राज कुमार सिंह)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के तहत, महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर मेंकौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई),जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेवीवाई 2.0 की शुरूआतसे अब तक इस योजना के तहत, देश भर में 1.07 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियों को फ़रवरी 2021 तक7,279 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जारी की गई है। पीएमकेवीवाई 2.0 के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के तहत राज्यवार निधियों का आवंटन करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 15 जनवरी, 2021 को प्रारम्भ किए गए पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, देश भर में जिला स्तर पर मांग संचालित अल्प अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सीएसएस-पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत अब तक, लगभग19.79 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

देश में गैर/नव साक्षर लोगों के व्यावसायिक कौशलऔर तकनीकी ज्ञान में सुधार करने के उद्देश्य से जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम का कार्यान्वयन उसके संस्थागत ढांचे के माध्यम से किया जा रहा है। यह स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और धन का आवंटन सीधे जेएसएस को किया जाता है और राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) शुरू की है, जो शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं के नियोजन में वृद्धि करने के उद्देश्य सेएमएसएमई सहित अधिक से अधिक संख्या में प्रतिष्ठानों तक पहुंचने के विशेष प्रयास करती है।

सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 और एनएपीएस के तहत संवितरित धनराशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) पीएमकेवीवाई 2.0 के सीएसएसएम घटक के तहत, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए), छत्तीसगढ़ सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-20 के लिए 71.16 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ 48,532 उम्मीदवारों के कुल लक्ष्य को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है जिसे राज्य के निष्पादन के आधार पर 53.37 करोड़ रुपए से और अधिक तर्कसंगत बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य को कुल आवंटन में से अब तक 35.57 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत, 19.01.2021 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में 13,752 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

अनुबंध-।

सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0, जेएसएस और एनएपीएस के तहत संवितरित/स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएसएसएम-पीएमकेवीवाई 2.0 (फरवरी 21 तक) (करोड़ रुपए में)	एनएपीएस (2016-20 से 20-21 जनवरी 21 तक) (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.11	0
आंध्र प्रदेश	54.93	11.53
अरुणाचल प्रदेश	24.88	0
असम	36.95	0
बिहार	36.82	0.16
चंडीगढ़	6.16	0.10
छत्तीसगढ	35.58	0.07
दिल्ली	15.40	0.43
गोवा	10.70	0.02
गुजरात	46.95	30.91
हरयाणा	36.57	15.48
हिमाचल प्रदेश	21.56	0.24
जम्मू और कश्मीर	22.94	0.1
झारखंड	29.60	1.74
कर्नाटक	21.42	4.08
केरल	22.00	1.30
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	1.23	0
मध्य प्रदेश	27.33	4.73
महाराष्ट्र	85.78	19.77
मणिपुर	41.60	0
मेघालय	12.78	0
मिजोरम	22.13	0
नगालैंड	25.45	0
ओडिशा	27.72	0.97
पुदुचेरी	11.35	0.25
पंजाब	40.40	1.85
राजस्थान	26.19	3.97
सिक्किम	4.77	0.14
तमिलनाडु	68.86	10.41
तेलंगाना	31.55	2.40
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.11	0.23
त्रिपुरा	22.80	0.001
उतार प्रदेश	106.84	9.430
उत्तराखंड	52.51	2.61
पश्चिम बंगाल	38.05	1.90
कुल	**1,076.01**	**124.83**

****